दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

975

न्यायालय माननीय राजस्व मण्ड़ल (म0प्र0)ग्वालियर

निगरानी क्रमांक R-1629-III-14

दिनांक 30-5-14 को श्री मुकेश भार्गव, अभि० द्वारा प्रस्तुत / 30-5-14 A-50

मुकेश भार्गव 30-5-14 एडवोकेट ग्वालियर

जयहिन्द सिंह बल्द स्व. जुगलकिशोर परिहार नि. ओरछा तह0 ओरछा जिला टीकमगढ़ म0प्र0

........................निगरानीकार

बनाम

म0प्र0 शासन

.................प्रति निगरानीकार

धारा 50 म0 प्र0 भू0रा0सं0 1959 के अन्तर्गत प्रतिकूल आदेश विद्वान अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार ओरछा द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमाक 58/ अ– 68 / 2012–13 मे पारित आदेश दिनांक 11.04.2014 के विरूद्ध।

महोदय

प्रार्थी निगरानीकार सादर विनयी है।

1. यह कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार ओरछा द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 58/अ–68/2012–13 मे पारित आदेश विधि व राजस्व प्रक्रिया के विपरीत होने से श्रीमान द्वारा हस्तक्षेप एवं निरस्त योग्य है।
2. यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। प्रार्थी का रहायसी मकान वर्ष 1969 –70 मे आवास हीन होने से क़िराये के मकान मे रहने से वर्ष 1971 मे तत्कालीन ग्राम पंचायत ओरछा ने दिनांक 30.11.71 को 41 रू. के अंशदान पर भवन निर्माण हेतु 80×60वर्ग फीट का भूखण्ड प्रदत्त किया जिसमे भवन निर्माण कर अपने परिवार सहित निवास करता चला आ रहा है। जिस पर सम्बंधित पटवारी हल्का ओरछा ने मनमाने तौर पर एक संहिता की धारा 248 उपबंधनो के अधीन एक वेजा कब्जा प्रतिवेदन दिनांक 15. 10.2011 को प्रार्थी के भवन को विवादित रखने 455/95 रकवा 9.142 हे0 के अंश भाग क्षेत्रफल 80×60 वर्ग फीट मे अवैध रूप से शासकीय भूमि मे निर्मित होना मानते हुये विद्वान अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार ओरछा के समक्ष प्रस्तुत करने पर विवादित प्रकरण दिनांक 31.10.2012 को पंजीवद्ध किया जाकर प्रार्थी को संहिता की धारा 248 के तहत कारण बातओ नोटिस किये जाने का आदेश दिया गया जो दिनांक 18.12.2012 को तामील

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1629-तीन/2014 जिला टीकमगढ़ जयहिन्द विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार ओरछा के प्रकरण क्रमांक 58/अ-68/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 11-04-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 22-04-2019 को कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 25/2/2019 सदस्य	